

'आवेदनों का रिजैक्शन रेट कम हो व पब्लिक सैटिसफैक्शन रेट में सुधार करें: टी.सी. गुप्ता'

■ राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर ने अधिसूचित सेवाओं व योजनाओं का लाभ आम जनता को देने के दिशा में



टी.सी. गुप्ता एक से संबंधित समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए, साथ ही मंडलायुक्त संजीव वर्मा व डी.सी. सुरील साक्षर।

पानीपत, 10 सितम्बर (सब): हरियाणा के राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर टी.सी. गुप्ता ने बुधवार को पानीपत के आर्य कालेज के सभागार में एक से संबंधित समीक्षा बैठक का लेगों से सीधा संबोधन किया और कहा कि राइट टू सर्विस कमिशन का यही उद्देश्य है कि आमजन के श्रेयमर्तों के काम समयबद्ध तरीके से लेगों की संतुष्टि के साथ ही। आवेदनों का रिजैक्शन रेट कम हो और पब्लिक सैटिसफैक्शन रेट में सुधार हो। उन्होंने कहा कि सरकार के 31 विभागों की 546

सेवाएँ राइट टू सर्विस एकट में नोटिफाइड हैं जिसमें हर सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समयवधि में ही वे सेवाएँ आम जनता को देने हैं। बैठक में मंडलायुक्त संजीव वर्मा, मेयर अमनील कौर, डी.सी. सुरील साक्षर, निगमायुक्त आर.के. सिंह, ए.एस.पी. पूजा बलिष्ठ, सी.जे.एम. एवं सचिव डी.एल.एस.ए. अमित

शर्मा, भाजपा विजल अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता, ए.डी.सी. चोपा हुड्डा के अलावा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और एमिपेट सिटीजन, एन.जे.ओ., निगम सचिव, रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएटों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि आयोग की स्थापना सन् 2014 में हुई थी और पिछले 8 सालों में अब तक आयोग के पास उन आवेदनों की केवल 7 अपील आई हैं जिनके आवेदनों पर निर्धारित समयवधि में काम नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ कमिश्नर का कार्यभार संभाले 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इस खेड़ी-सी अवधि में उन्होंने मुख्यमंत्री के हार्थी ऑटोमेटिड अपील सॉल्यूशनर (आय) की शुरुआत करवाई है जिसमें पब्लिक के आवेदन पर निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर अपने आप उपस्थित अधिकारी के पास अपील चली जाएगी।



एक से संबंधित समीक्षा बैठक में उपस्थित जिले के अधिकारी व कार्यचारी।

उदाहरण देकर समझाया किस प्रकार काम करेगा आयोग

यदि शहर में बिजली चली जाए तो 4 घंटे में उसकी आपूर्ति बहाल होनी चाहिए। इसी प्रकार बाघरा उठाने का समय भी निर्धारित है, यदि शिक्षा प्रदान करने के बाद उस अवधि में कक्षा नहीं उठता है और उसकी शिक्षा प्रदान आयोग को आती है तो आयोग चीफ सैनेटरी इंस्पेक्टर पर 20 हजार रुपए जुर्माना कर सकता है। इसी प्रकार यदि सरकारी स्कूलों जैसे लाइवली योजना, मुख्यमंत्री विद्या श्रुत योजना आदि का लाभ समय पर नहीं दिए जाने पर भी संबंधित अधिकारी पर फैनल्टी लगाई जा सकती है।

लोगों को मिलेगी राहत: मंडलायुक्त संजीव वर्मा

मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने जिला प्रशासन और करवाल मंडल की ओर से राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर टी.सी. गुप्ता का स्वागत करते हुए उन्हें इस सॉल्यूशनर के लिए कबड्डी दी और कहा कि यह आम के साथ विश्वास भी लेगों में पैदा करेगा। संजीव वर्मा ने कहा कि टी.सी. गुप्ता एक बहुत ही बेहतरीन अधिकारी हैं जो शुरू से ही गति नए-नए प्रयोग करते रहे हैं। राइट टू सर्विस कमिशन में इनके आने से बल मिलेगा और लेगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में पानीपत के प्रसिद्ध कवि और शायर रमेश चन्द्र फुलाल ने टी.सी. गुप्ता और मंडलायुक्त संजीव वर्मा को पुस्तकों का गीत भी पढ़ा किया।

आयोग के सामने इन्होंने रखी समस्याएं

सम्बलखड़ा वाली जगदीश राम ने एक ही व्यक्ति के नाम 2-2 बिजली के बिलों के मैसेज मोबाइल पर प्राप्त होने से संबंधित समस्याओं को भी रखा। इसके साथ-साथ मनोहर लाल बटल ने ड्रीपरी आई.टी. से संबंधित, एडमोकेट सुनील शर्मा ने विभिन्न प्रमाण पत्रों के रिजैक्शन से संबंधित, अमित मदान ने बिजली विभाग से संबंधित, सैक्टर-11 वाली शशी कुमार ने सोल्डर, सवालखड़ा वाली सुनील शर्मा ने नगर पतिका से संबंधित, सैक्टर-29 इंडस्ट्री एरिया से भी भगवान अग्रवाल ने स्ट्रीट लाइट से संबंधित, सैक्टर-12 वाली शारद कौर ने जति प्रमाण पत्र, एलिडकी वाली संजय अंबेकार ने एन.एच.ए.आई. की लाइट और बलबोत सिंह ने स्ट्रीट लाइट से संबंधित समस्याओं को रखा।

इसी प्रकार भाजपा अध्यक्ष डा. अर्चना गुप्ता ने बुद्धाच पिन और इसमें उपयोग होने वाले मैट्रीकुल सर्टीफिकेट से संबंधित समस्याओं को रखा। डिप्टी मेयर रविन्द कुमार ने विभिन्न प्रमाण पत्रों और अन्य समस्याओं को रखा जिस पर राइट टू सर्विस कमिशन के चीफ कमिश्नर टी.सी. गुप्ता ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन समस्याओं पर गौर किया जाएगा।

3 पैन्ल्टी लग गई तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश करेगा

सेवाएँ प्रदान करने में देरी करने वाले अधिकारी व कार्यचारी पर 20 हजार रुपए तक जुर्माना करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो उसे अपने वेतन से भरना होगा और जिस भी अधिकारी व कार्यचारी पर 3 पैन्ल्टी लग गई तो आयोग उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सरकार से सिफारिश करेगा। यही नहीं, पब्लिक आवेदन को भी आयोग 5 हजार रुपए तक का जुर्माना देरी के लिए दे सकता है। इसके साथ टी.सी. गुप्ता ने यह भी कहा कि आयोग के फैसले के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में ही हो सकती है।